न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –73/2016 जिला सीकर

1. नारायण दत्तक पुत्र लिखमा
2. हनुमान दत्तक पुत्र शोभला
3. प्रमोद उर्फ परमानन्द पुत्र चूना
4. जगदीश पुत्र मुरली
5. रामेश्वर पुत्र रणमल
6. हणमान पुत्र रणमल
7. भैरू पुत्र गोपी
8. मदन पुत्र जवाहर
9. जगदीश पुत्र मुरली
10. मालीराम
11. बजरंग

पुत्रान नन्दा

जाति अहीर, निवासी मोदयाडी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नरसी पुत्र भूरा
2. गिरधारी
3. औम प्रकाश
4. रामचन्द्र

पुत्रान नन्दा

5. सुवा लाल
6. हजारी

पुत्रान जवाहर

जातियान अहीर, निवासीयान मोदयाडी, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर ।

रेस्पोंडेन्ट्स

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 23.9.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्याम बाबू पारीक
2. वकील रेस्पोंडन्ट संख्या 1 श्री ग्यारसी लाल मीना
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 से 6 श्री सीताराम जाट

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.9.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम मोदयाडी , तहसील श्रीमाधोपुर , जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 701 रकबा 0.20, 706 रकबा 1.52, 739 रकबा 0.64, 740 रकबा 0.45, 741 रकबा 0.40, 742 रकबा 0.51 एवं 1343 रकबा 0.40 कुल किता 7 कुल रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा की खातेदार भूरी बेवा सेडू , जाति अहीर थी । विवादित भूमि की खातेदार भूरी बेवा सेडू का स्वर्गवास दिनांक 10.4.1991 को नाऔलाद होने पर उसकी विरासत का नामांतरकरण संख्या 87 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21.5.2000 को शोभला, लिखमा पि. गणेश, रूडमल, जवाहर, गोपी पि. राजू, नन्दा, नरसी पि. भूरा कौम अहीर के नाम दर्ज किया गया जिसे ग्रम पंचायत हथोरा ने दिनांक 10.7.2000 को प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा सर्वसम्मति से नरसी पुत्र भूरा के नाम स्वीकार किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 87 दिनांक 10.7.2000 के खिलाफ लिखमा, शोभला पि. गणेश वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 30.8.2007 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 87 व ग्रम पंचायत का निर्णय दिनांक 10.7.2000 निरस्त करते हुये प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर , उन्हें सुना जाकर मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर का रिमाण्ड किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30.8.2007 की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.9.2016 पारित कर भूरी बेवा सेडू तथा सेडू पुत्र भींवा की सेवा, उनकी लेन देन, अंतिम कियाकम तथा पगडी की रस्म तथा जीवन पर्यन्त उनकी सुश्रुषा तथा गंगाजी में अस्थियां विसर्जन तक सभी कार्य नरसी पुत्र भूरा द्वारा ही सम्पन्न करवाये जाने एवं नरसी पुत्र भूरा द्वारा ही उनकी यादगार में कमरा निर्माण रा.मा.वि.मोदाडी में करवाये जाने से भूरी बेवा सेडू का सही वारिस नरसी पुत्र भूरा को मानते हुये निर्णय का अमल करने के आदेश दिये हैं ।

तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 23.9.2016 के खिलाफ अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर निरस्त कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी वारिसान के नाम नामांतरकरण स्वीकृत करने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान करने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदार भूरी बेवा सेडू नाऔलाद फौत हुई थी जिसकी विरासत का प्रश्नगत नामांतरकरण दत्तक पुत्र नरसी पुत्र भूरा के नाम भरने एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपीलधीन आदेश दिनांक 23.9.16 द्वारा भूरी बेवा सेडू का वारिस नरसी पुत्र भूरा को मानने से पूर्व दत्तक के विषय में दिये गये प्रावधानों पर विचार नहीं करने में गम्भीर कानूनी भूल की है । तहसीलदार ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत जवाब व शपथ पत्रों पर भी कोई विचार नहीं किया । प्रस्तुत कुर्सीनामा से नरसी पुत्र भूरा मृतक खातेदार भूरी बेवा सेडू का गोद पुत्र साबित नहीं था । ऐसी स्थिति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णय पारित करना चाहिये था, लेकिन इस पहलू पर विचार नहीं कर निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । उनका कहना था कि मृतक खातेदार भूरी बेवा सेडू की सेवा करना, गंगाजी जाना, अंतिम संस्कार करना व स्कूल में कमरे का निर्माण करवाना आदि सामाजिक कार्य करने के आधार पर तहसीलदार द्वारा नरसी पुत्र भूरा को गोद पुत्र मानने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि दत्तक के संबंध में लिखावट दिनांक 31.6.83 फर्जी व नुमाईशी है जो पंजीकृत भी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने कानून व नियमों को नजरन्दाज करते हुये रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को लाभान्वित करने की गरज से अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक भूल की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मृतक के वारिसों के नाम नामांतरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान किये जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि की खातेदार भूरी बेवा सेडू ने दिनांक 10.5.1977 को एक गोदनामा तहरीर कर नरसी पुत्र भूरा को गोद लिया था ओर नरसी ने ही भूरी बेवा सूडी की सेवा, उनके लेन देन, अंतिम कियाकम तथा पगडी की रस्म तथा जीवन पर्यन्त उनकी सुश्रुषा तथा गंगाजी में अस्थियां विसर्जन तक सभी कार्य किये हैं तथा मृतका की यादगार में रा.मा.वि.मोदाडी में कमरे का निर्माण नरसी पुत्र भूरा द्वारा करवाया गया था । इसी आधार पर ग्रम पंचायत ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर नरसी पुत्र भूरा के नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक किया है तथा तहसीलदार ने भी अपीलाधीन आदेश द्वारा भूरी बेवा सेडू का सही वारिस नरसी पुत्र भूरा को माना है । ग्रम पंचायत द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामांतरकरण एवं अपीलाधीन आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर उचित एवं विधिसम्यक है जिन्हें यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद विवादित भूमि की खातेदार भूरी

बेवा सेडू के नाऔलाद फौत होने पर उसकी विरासत के नामांतरकरण का है । ग्रम पंचायत हथोरा द्वारा भूरी बेवा सेडू की विरासत का नामांतरकरण संख्या 87 दिनांक 10.7.2000 को प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा सर्वसम्मति से नरसी पुत्र भूरा के नाम स्वीकार किया गया है एवं अपीलान्ट्स भूरी बेवा सेडू की भूमि में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में हक चाहते हैं । प्रश्नगत नामांतरकरण संख्या 87 दिनांक 10.7.2000 के खिलाफ लिखमा, शोभला पि. गणेश वगैहरा की अपील न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर ने निर्णय दिनांक 30.8.2007 द्वारा इस आधार पर स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 87 व ग्रम पंचायत का निर्णय दिनांक 10.7.2000 निरस्त करते हुये प्रकरण दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर , उन्हें सुना जाकर मृतक खातेदार के वारिसान की जॉच कर निर्णित करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को रिमाण्ड किया गया । उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के उक्त निर्णय दिनांक 30.8.2007 की अनुपालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.9.2016 पारित कर भूरी बेवा सेडू तथा सेडू पुत्र भींवा की सेवा, उनकी लेन देन, अंतिम कियाकम तथा पगडी की रस्म तथा जीवन पर्यन्त उनकी सुश्रुषा तथा गंगाजी में अस्थियां विसर्जन तक सभी कार्य नरसी पुत्र भूरा द्वारा ही सम्पन्न करवाये जाने एवं नरसी पुत्र भूरा द्वारा ही उनकी यादगार में कमरा निर्माण रा.मा.वि. मोदाडी में करवाये जाने से भूरी बेवा सेडू का सही वारिस नरसी पुत्र भूरा को मानते हुये निर्णय का अमल करने के आदेश दिये हैं ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि विवादित भूमि की खातेदार भूरी बेवा सेडू नाऔलाद फौत हुई थी जिसकी विरासत नामांतरकरण संख्या 87 ग्रम पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 10.7.2000 द्वारा रेस्पोंडेन्ट नरसी पुत्र भूरा के नाम स्वीकार किया है । अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.9.16 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने भूरी बेवा सेडू तथा सेडू पुत्र भींवा की सेवा, उनकी लेन देन, अंतिम कियाकम तथा पगडी की रस्म तथा जीवन पर्यन्त उनकी सुश्रुषा तथा गंगाजी में अस्थियां विसर्जन तक सभी कार्य नरसी पुत्र भूरा द्वारा ही सम्पन्न करवाये जाने एवं नरसी पुत्र भूरा द्वारा ही उनकी यादगार में कमरा निर्माण रा.मा.वि.मोदाडी में करवाये जाने से रेस्पोंडेन्ट नरसी पुत्र भूरा को ही भूरी बेवा सेडू का सही वारिस माना है , जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं तथा अपील अपीलान्ट में कोई सार नही होने खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

चित्रा

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर